न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—123/2017/223 (2017/00123)

1. श्योजी उर्फ शिवजीराम पुत्र गुटा उर्फ गुटका, जाति गुर्जर, नि0 धुन्धरी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गोपाल पुत्र रामकरण,
2. सीताराम पुत्र रामकरण,
3. कैलाश पुत्र रामकरण,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी धुन्धरी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
4. रामदेव पुत्र जगन्नाथ, जाति गुर्जर, निवासी डाबरकलां, तहसील देवली, जिला टोंक ।
5. सूरजमल पुत्र सोदान (फौत) जरिये वारिसानः—
   5/1— सूरज पत्नि सूरजमल,
   5/2— नानूलाल पुत्र सूरजमल,
   5/3— रामरतन पुत्र सूरजमल,
   5/4— नाथी पुत्री सूरजमल,
   5/5— बदरी पुत्र सूरजमल,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी डाबरकलां, तह0 देवली, जिला टोंक ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 8.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 76/2006.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री सुनील कुमार, वकील रेस्पो0 संख्या 4 से 5/5.
4. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट श्योजी व उसकी बेवा गलकू द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 209 एवं 92—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम धून्धरी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर में स्थित जमाबंदी (खेवट खतौनी) संवत् 2016 से 2019 के खाता नंबर

187 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 22, 23, 25, 26, 31, 36, 37, 29 कुल रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी तथा खाता संख्या 416 में वर्णित खसरा नंबर 2, 30, 32 मिन कुल रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादी की पुश्तैनी आराजियात है जिस पर वादी उसके दादा के समय से दादा के बाद पिता व उसके बाद स्वंय के कब्जे काश्त व स्वामित्व में चली आ रही है । वादग्रस्त भूमियों से प्रतिवादी का कोइ वास्ता या सरोकार नहीं है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने बिना विधिक अधिकार के राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपना नाम रामकरण पुत्र गोरू का अंकन करवा दिया जो कि गलत है । अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5 व 6 का गलत नाम दर्ज होने से उनका नाम विलोपित करते हुए वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी की वादग्रस्त आराजियात में उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ना ही बेचान आदि करे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8.5.2017 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि खातेदारी घोषणा के वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है । इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को पोषणीय नहीं होना मानकर जो निर्णय व डिक्री पारित किया है वह राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । यदि विवादित आराजी का बेचान भी हो जाता है तो भी अपीलांट को उसके विधिक अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता है परन्तु अधी0न्याया0 ने कब्जे की जांच किये बिना तथा रेस्पो0 द्वारा कब्जा साबित नहीं किये जाने के बावजूद अपीलांट का कब्जा नहीं मानकर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व रेस्पो0 संख्या 5 सूरजमल पुत्र सोदान फौत हो चुका था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने मृतम सूरजमल के वारिसान को रिकार्ड पर लिये तथा बहस सुने बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 का निर्णय यह कहते हुए पारित किया है कि रेस्पो0 द्वारा किये गये बेचान को किसी भी न्यायालय से निरस्त करवाने की कार्यवाही नहीं की गई है जबकि अधी0न्याया0 को पूर्ण क्षैत्राधिकार है कि वह वादी के दावे को जो खातेदारी घोषणा का है बिना विक्रय पत्र को निरस्त करवाये सुनने व डिक्री करने में पूर्ण सक्षम है। वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी होकर वादी उपरोक्त आराजियात पर आज दिनांक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा दिनांक 15.11.2005 पेश किया गया था जिसे रेस्पो0 द्वारा किसी भी दस्तवोजी साक्ष्य से गलत साबित नहीं किया गया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 में खेवट खतौनी संख्या 416 नई व पुरानी 545 में देवा पुत्र बालू जो कि वादी के पिता थे के

नाम दर्ज है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के उपरोक्त आराजी में विपक्षीगण का बिना किसी आधार के हक मानते हुए वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि विपक्षी वादीगण के परिवार के सदस्य नहीं है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने विपक्षीगण द्वारा पेश जवाबदावे में तथाकथित अंकित सजरे को बिना किसी साक्ष्य के साबित मानकर अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात वादी एवं रेस्पो0 की पुश्तैनी आराजियात है । विवादित आराजियात का बंटवारा गुटका व रामकरण के जीवनकाल में ही आपसी सहमति से हो चुका था और बंटवारे के अनुसार आराजियात अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में इंद्राज होकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया गया जिसके आधार पर ही मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है । विभाजन से प्रतिवादीगण को प्राप्त आराजी के हिस्से में वादी/अपीलांट को किसी प्रकार की बाधा डालने का अधिकार नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने दौराने दावा वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 116 की आराजी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 को व प्रतिवादी संख्या 5 रामदेव को व 3/16 हिस्सा सूरजमल को वैध रूप से किया है । उक्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान का पूर्ण अधिकार था । उक्त आराजी पूर्वजों के समय से प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त व स्वामित्व में चली आ रही है । प्रतिवादी संख्या 3 व 5 विवादित आराजी के सद्भाविक क्रेता होकर काबिज काश्त है । वादी/अपीलांट का विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण एडवर्स पजेशन के सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है । बहस में यह भी कथन किया कि वादी ने मियाद बाहर वाद पेश किया है तथा वादीगण द्वारा रेस्पो0 संख्या 3 व 5 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्रों को भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवाया गया है । पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादी/अपीलांट का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट द्वारा जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 में अंकित देवा पुत्र बालू जो कि अपीलांट के पिता होने का कथन किया गया, की खातेदारी में दर्ज होने के कारण खाता संख्या 187 रकबा 30–10–10 बीघा भूमि की खातेदारी एवं खाता संख्या 416 में दर्ज रकबा 11–3–00 बीघा भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि बालू के दो पुत्र देवा व गोरा हुए । इनमें से देवा के फौत होने पर उसका वारिस गुटका हुआ एवं गुटका के फौत होने पर उसके वारिस गलकू व श्योजीराम हुए । इसी प्रकार बालू का पुत्र गौरा के फौत होने पर उसके आधे हिस्से की भूमि रामकरण को प्राप्त हुई एवं रामकरण के फौत होने पर उसके आधे हिस्से की भूमि गोपाल, सीताराम व कैलाश को प्राप्त हुई है । रामकरण द्वारा उसके आधे हिस्से की भूमि का पंजीबद्ध विक्रय पत्रों से बैचान किया

गया है । कोई भी सहखातेदार अपने हिस्से की भूमि विधिनुसार बैचान कर सकता है जिसमें कोई अविधिकता नहीं है । वादग्रस्त भूमि में से आधे हिस्से की भूमि पंजीकृत विक्रयपत्रों से बैचान हो चुकी है । उपरोक्त बैचान को निरस्त कराने के संबंध में वादी/अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर निरस्त करवाया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है । अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त रहा हो ऐसी भी कोई ठोस साक्ष्य अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि कब्जे के अभाव में घोषणात्मक वाद संधारण योग्य नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर विधिसम्मत् रूप से वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट निरस्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.5.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर